नगर विकास योजना का मूल्यांकन
ईटानगर

जनवरी, 2007

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र

लोदी रोड, नई दिल्ली 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर कृपया श्री संदीप ठाकुर (email:sthakur@niua.org) से ई मेल से सम्पर्क करें

नगर विकास योजना का मूल्यांकन : ईटानगर

ईटानगर की नगर विकास योजना (सीडीपी) अरूणाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह योजना राजधानी क्षेत्र ईटानगर के शहरी समूह के लिए तैयार की गई है।

ईटानगर की नगर विकास योजना (सीडीपी) नगर आकलन और विश्लेषण, भावी परिदृश्य और झलक (विज़न), तथा नगर निवेश योजना के प्रसंग में शहर के बारे में एक व्यापक विचार पेश करती है।

शहरवासियों द्वारा शहर के प्रत्यक्ष अनुभव, विकास हेतु उनकी प्राथमिकताओं भविष्य के लिए उनके विज़न की पहचान, समझ और विश्लेषण के लिए सभी हितबद्ध पक्षों की भागीदारी की परम्परागत प्रणाली अपनाए जाने का सीडीपी में स्पष्ट आभास मिलता है। इसमें हितबद्ध पक्षों के साथ परस्पर संवाद की चार श्रेणियाँ, यथा-सभी शहरवासियों के साथ परस्पर वार्त्ता, अन्तःवासी कल्याण समितियों के साथ वार्त्ता, सरकारी पदाधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के साथ वार्त्ता तथा राज्य नोडल योजना एजेंसी के साथ वार्त्ता - निहित हैं।

ईटानगर राजधानी क्षेत्र की स्थिति विश्लेषण का उल्लेख अध्याय-2 में है, जिसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ भलीभांति प्रस्तुत किया गया है। सीडीपी के अनुसार, ईटानगर के समूचे राजधानी क्षेत्र की आबादी, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1.0 लाख व्यक्ति से कम है और वर्ष 2006 के लिए प्रायोजित आबादी 1.2 लाख है। कुल मिलाकर, शीघ्र शहरी विकास और शहरीकरण अरूणाचल प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रतीत होता है। इस अध्याय में जिन मुद्दों और चुनौतियों को उजागर किया गया है, वे सड़कों की मजबूती और विकास एवं नए बस टर्मीनल के निर्माण, जलआपूर्ति की बेहतर व्यवस्था (जो जन परामर्श के आधार पर सर्वोच्च प्राथमिकता वाली है) पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, पुनः प्रयोग हेतु चक्रणीय कचरे की छंटाई में प्रभावी जनभागीदारी, कारगर कचरा निपटान व्यवस्था तथा स्लम क्षेत्रों में बेहतर पर्यावरण स्थितियों से संबंधित हैं।

अध्याय 2 के खंड 2.7 में साफ संकेत है कि राजधानी क्षेत्र ईटानगर, जिसके लिए यह सीडीपी है, में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। अतः स्थानीय शहरी शासन या प्रशासन का कार्य कोई म्यूनिसिपल इकाई नहीं करती है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था तथा शहरी शासन आदि की देखभाल करते हैं। सीडीपी के अनुसार, ईटानगर के लिए वर्त्तमान में शहरी सेवाओं की व्यवस्था और शासन की देखभाल निम्नलिखित द्वारा की जा रही है:-

- अरूणाचल प्रदेश सरकार,
- लोक निर्माण विभाग (सड़कें व सफाई),
- लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग (जल आपूर्ति और अपजल निकासी),
- शहरी विकास और आवास विभाग (शहरी विकास, कचरा निपटान),
- अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी निदेशालय,

- भूमि प्रबंधन विभाग
- वन विभाग
- नगर नियोजक का कार्यालय
- पुलिस विभाग
- विद्युत विभाग
- जिला प्रशासन

राजधानी क्षेत्र ईटानगर में संस्थायी वित्त व्यवस्था तथा व्याप्त वित्तीय बाधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो शहर के लिए कोई शहरी स्थानीय निकाय न होने के कारण समझ में आती है। साथ ही, ईटानगर के बारे में स्वतः वित्तीय जानकारी देना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के विभाग समूचे अरूणाचल प्रदेश को अपने अंदर समेटे हुए हैं।

शहरी शासन बावत कतिपय तात्कालिक सरोकार सीडीपी में उठाए गए हैं, वे हैं : राजधानी रीज़न के लिए नियोजन (योजना) क्षेत्र की अधिसूचना, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राजधानी रीज़न के शासन बावत कानून का अधिनियमन, तथा ईटानगर के लिए एक शहरी स्थानीय निकाय का गठन। सीडीपी में अनुरोध है कि राजधानी रीज़न ईटानगर के लिए नगरपालिका के गठन के लिए दो वर्ष का अंतरिम समय दिया जाए। शहरी शासन नगरपालिका के सुपुर्द किए जाने से जिन महत्वपूर्ण मुद्दों से समाधान होगा, वे हैं : (क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नए शहरी स्थानीय निकाय को कार्यों का प्रत्यायोजन, (ख) नगर पालिका द्वारा करों, शुल्कों, फीस दरों का निर्धारण, (ग) राज्य की समेकित निधि से नगर पालिका को सहायता अनुदान, (घ) म्यूनिसिपल शासन इकाई के वित्तीय स्रोतों की वृद्धि, (ड़) इस समय राजधानी रीज़न सेवाओं में कार्यरत स्टाफ का नगर पालिका को स्थानांतरण, तथा (च) वार्ड समितियों का गठन।

अध्याय - 3, " भावी आवश्यकताएँ : जनसंख्या और जमीन" तथा अध्याय 4, " सिटी विज़न एवं सेक्टोरल लक्ष्य" भली भांति तैयार किए गए हैं तथा वे संगत मुद्दों (सरोकारों) के बारे अच्छी जानकारी देते हैं।

अध्याय - 7, " पूंजी निवेश योजना और उसके प्रावस्थाक्रम के साथ-साथ वित्तीय परिचालन योजना का प्रकाश डालता है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान (जे एन एन यू आर एम) की अवधि (2007-2012) के अन्तर्गत उप-अभियान I (शहरी आधार-ढांचा और शासन) के लिए क्रमशः 1690 करोड़ रू. तथा 98 करोड़ रू. की प्रायोजित मांग पेश की गई है। ईटानगर की आबादी को देखते हुए, मांगी गई रकम काफी अधिक प्रतीत होती है। इसके अलावा, इन राशियों की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति के ब्यौरे के अभाव में, इन जरूरतों को समझना मुश्किल है। शहरी परिवहन के लिए ही 748 करोड़ रू. (यानी कुल उप अभियान की 44%) की राशि मांगी गई हैं। नगर निवेश योजना सेक्टर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है :

नगर विकास योजना (2007-12) का सार

घटक	**निर्माण की अनुमानित लागतें (करोड़ रू.)**	
उप अभियान I: शहरी आधार-ढांचा व शासन		**%**
शहरी परिवहन	747.82	44.25
शहरी कायाकल्प	261.28	15.46
अपजल निकासी	222.15	13.14
जल आपूर्ति	121.37	7.18
जलाशय व उद्यान	93.20	5.51
बरसाती पानी की निकासी	60.29	3.57
कचरा निपटान	40.27	2.38
सामाजिक सुविधाएं	33.67	1.99
पर्यटन व विरासत	31.00	1.83
भूमि अधिग्रहण	30.13	1.78
भूस्खेलन रोकथाम	25.25	1.49
शहरी सुधार व ई-गवर्नेंस	23.60	1.40
योग (उप अभियान I)	**1,690.03**	**100.00**
उप अभियानः शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं		
आधार ढांचा व आवास	97.97	
समग्र पूंजी निवेश आवश्यकता	**1,788.00**	

वित्तीय परिचालन योजना में कहा गया है कि 90% वित्तीय जरूरतों की पूर्ति केन्द्र सरकार को करनी होगी तथा शेष की पूर्ति राज्य सरकार को करनी होगी। राज्य सरकार की तरफ से सीडीपी में 64.5 करोड़ रू. की राशि सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी से जुटाने का प्रस्ताव है। म्यूनिसिपल कर स्रोतों और गैर-कर स्रोतों से राजस्व प्राप्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि राजधानी रीज़न ईटानगर में इस समय कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं हैं।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थानः यह नगर विकास योजना (सीडीपी)इस प्रकार अब राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान के टूलकिट नं. 2 के अनुसार है।